

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
स्वीकाराम पुत्र रूपालय जाति नाथ का. द्विव	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	251 / 2021	GCMS No. 2021 / 983
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.11.2021	<p>वादी श्री स्वीकाराम पुत्र रूपालय जाति नाथ निवासी शिव द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत शिव में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-76 ग्राम शिव पटवार मण्डल शिव के खाता नम्बर 170 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि स्वीकाराम पुत्र रूपालय का. द्विव दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम स्वीकाराम पुत्र रूपालय का. द्विव है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. - आधार नम्बर 2713 0226 0270 मतदाता पहचान पत्र - अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी शिव भू.अ.नि चित्तवा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चित्तवा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



10/16-10/18